

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या - 246/2026  
दायर दिनांक - 05.03.2026

1. रामबक्ष पुत्र देवकरण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।  
उनवान  
प्राथी
- 1 सौजी पुत्र नाहरा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।  
बनाम
2. हगामी पुत्र घीसा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. रायमल पुत्र राजू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. नानूराम पुत्र राजू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
5. राधाकिशन पुत्र नाहरा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
6. लाली पुत्री उगमा जाति जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
7. श्रीमान् तहसीलदार सा० तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

उपस्थित-  
प्राथी अधिवक्ता— श्री विजय पाराशर  
प्राथनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात  
—(अप्रार्थीगण)

## आदेश

दिनांक - 06.05.2026

प्राथीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बावड़ी पटवार हल्का ईटडिया भू अभिलेख निरीक्षक अरवड़ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्राथीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 302 व पुरानी 19 में आराजी नं 1372/246, 1373/249, 1374/1191, 1375/1198, 1382/403, 1450/1406 कुल किता 6 कुल रकबा 0.56 है० स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण हैं। प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्राथनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 07 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राथी को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है अतः प्राथना पत्र प्राथीगण के न्याय हित में आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बावड़ी पटवार हल्का ईटडिया भू अभिलेख निरीक्षक अरवड़ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्राथीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 302 व पुरानी 19 में आराजी नं 1372/246, 1373/249, 1374/1191, 1375/1198, 1382/403, 1450/1406 कुल किता 6 कुल रकबा 0.56 है० भूमि की पत्थरगढी बसामालात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड़ को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। विवादित सीमा में आने वाले खातेदार को पक्षकारान नहीं बनाने की स्थिति में, किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में तथा राजहित प्रभावित होने की दशा में, किसी पक्षकारान की मृत्यु हो जाने से पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्राथी के स्वामित्व का घोटक नहीं है। अतः प्राथी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)

उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकला जिला भीलवाडा